39

30 AUG 2019

दैनिक भास्कर, जयपुर

25 हजार सोलर पम्प लगेंगे, शर्तें ऐसी कि राज्य की कंपनियां ही निविदा में भाग नहीं ले सकेंगी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

राजस्थान एमएसएमई सौर ऊर्जा संस्था ने किसानों की बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना की निविदा शर्तों को अप्रासंगिक बताया है। संस्था का कहना है कि इस योजना के तहत देशभर में सवा लाख और राज्य में 25 हजार सोलर पम्प लगाना है। योजना में 70 फीसदी राशि राज्य सरकार और किसानों को वहन करना होगा। लेकिन केन्द्र सरकार ने योजना की शर्तें ऐसी है, जिससे राज्य की सोलर पम्प बनाने और लगाने वाली एमएसएमई कंपनियां ही भाग नहीं ले सकेंगी। संस्था अध्यक्ष नरेन्द्र सैन ने बताया कि निविदा शर्तों में यह है कि 150 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कंपनियां इसमें भाग ले सकेंगी, जबकि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियां इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत है। केन्द्र और राज्य सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीतियों में किसी भी योजना में 20 से 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी तय कर रखी है। इस सोलर पम्प योजना में 40 फीसदी राशि की हिस्सेदार राज्य सरकार, 30 फीसदी राशि किसान की होगी।

राज्य में 50 हजार कामगारों पर रोजगार का संकट

केन्द्र ने इस योजना के लिए जो शर्तें बनाई है इसके अनुसार देश की केवल 4 से 5 कंपनियां ही शर्तों का पूरा करती है। राज्य के 50 हजार कामगार सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियां से जुड़े है। इनके सामने रोजगार का संकट पैदा होगा। संस्था की मांग है कि इन शर्तों पर राज्य सरकार इस योजना को मंजूरी नहीं दे। मांगों को लेकर संस्था ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उधोग मंत्री परसादी लाल मीना को ज्ञापन भी दिया है।